

#shahjahanpurpol

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 21-02- 2023

थाना अल्हागंज ने ठगी करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह का किया खुलासा,

नकली आभूषण को असली बताकर ठगी करने वाले 02 शातिर ठग गिरफ्तार, नकली पीली धातु की झालर, 2100/- रुपये की नगदी, मोबाइल बरामद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर श्री एस0 आनन्द के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शाहजहांपुर श्री संजीव वाजपेयी के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी जलालाबाद श्री अजय कुमार राय के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना अल्हागंज श्री प्रदीप कुमार सहरावत के नेतृत्व में थाना अल्हागंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली ।

दिनांक 20/02/2023 को वादी श्री जगवीर सिंह पुत्र रंजीत निवासी ग्राम कुबेरपुर कुतलूपुर थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद की लिखित तहरीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 73/2023 धारा 420 भादवि में 24 घण्टे से कम समय में कार्यवाही करते हुए थाना अल्हागंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 21.02.2023 को समय करीब 09.30 बजे “मऊ शाहजहांपुर जाने वाले रोड पर ” से वादी मुकदमा व एक अन्य भूदेव पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्योती धर्मपुर थाना अलापुर जनपद बदायूँ के साथ नकली सोने को असली सोना बताकर बेचकर रुपये की ठगी करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों 1.कन्हैया गिरि S/O नाथूगिरि निवासी रंगपुरा पडीला थाना फाफामऊ जिला प्रयागराज 2.अर्जुन राठौर S/O चुन्नी लाल राठौर नि0 सत्यनगर कालौनी धनौली थाना मलपुरा जिला आगरा को नकली ज्वैलरी, घटना में प्रयुक्त मोबाइल, पूर्व की घटना से मिले कुल 2100 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है । अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

1. कन्हैया गिरि S/O नाथूगिरि निवासी रंगपुरा पडीला थाना फाफामऊ जिला प्रयागराज
2. अर्जुन राठौर S/O चुन्नी लाल राठौर नि0 सत्यनगर कालौनी धनौली थाना मलपुरा जिला आगरा

बरामदगी का विवरण:

- ❖ नकली ज्वैलरी झालर (पीली धातु)
- ❖ घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन iTeI कीपेड वाला
- ❖ पूर्व की घटना से प्राप्त रूपयों में से शेष 2100 रुपये

***पूछताछ का विवरण:-**

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों लोग रिश्ते में जीजा साले हैं दोनों लोग साथ साथ रहते हैं । करीब 2-2.5 वर्ष से हम लोग असली सोना की धातु दिखाकर नकली पीली धातु को देकर धोखाधड़ी कर रुपये ले लेते थे । हम लोग कुछ समय से अल्हागंज में अस्थायी रूप से झोपडी डालकर रह रहे थे । इस दौरान पाली से आ रहे एक मोटर साइकिल सवार (वादी) से लिफ्ट लेकर उनको गिल्ट के सिक्के दिखाकर फोटो खिचाई थी और एक मूंगा देकर रुपये की 5000/- ठगी की थी । जिसमें से 2100 रुपये बचे हैं जो बरामद हुए हैं । अभियुक्तों द्वारा वादी से पीली धातु नकली झालर वजन करीब 1.4 किग्रा0 झालर (मूंगा पडे हुए) को बेचने के लिए वार्ता की जा रही थी तथा कल दिनांक 20.02.2023 को 03 लाख 10,000 रुपये में बेचने की सौदा तय हुआ था कि अचानक पुलिस

के आ जाने से हम लोग भाग गये थे। इसी तरीके की उझानी बदाँयू के पास दो- ढाई महीने पहले घटना कारित की थी। जिसकी पुष्टी पीडित द्वारा की गयी।

पंजीकृत अभियोग:

❖ मु0अ0स0 73/2023 धारा 420 भादवि

❖ बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 411 आईपीसी की वृद्धि

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सहरावत थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 नगेन्द्र सिंह थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर।
3. का0 2462 भीम सिंह थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर।
4. का0 2347 अमित कुमार थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर।